SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the Court of Tarunendra pratap singh Judicial Magistrate First Class Barhi, District katni

Crime No. ...281/2022...

Sum. No. ...270/2022.......... Complaint or report made on ------------------

Name and address of the complainant :- Police Station Barhi

Name, parentage, case and address of accused

(01) दाढूलाल मुसियां पिता छक्कुलाल मुसियां उम्र 45 साल

(02) संतोष विश्वकर्मा पिता फत्तू विश्वकर्मा उम्र 45 साल

(03) राजेश कलार पिता मन्नूलाल कलार
तीनों निवासी ग्राम अड़िया P.S बरही जिला कटनी (म०प्र०)

परिवादित अपराध का विवरण

आपने दिनांक ...25/04/2022... समय ...02:40... बजे आरक्षी केन्द्र बरही के क्षेत्रांतर्गत ...अड़िया P.S बरही जिला कटनी (म०प्र०)... तुम/अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर ताश पत्ती पर रूपये पैसे की हार जीत का दांव लगाकर, अवैध लाभ अर्जित कर रहे थे। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य धारा–13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध हैं जो इस न्यायालय के संज्ञान है।

आप उक्त अपराध स्वीकार करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

27.10.22
(तरुणेन्द्र प्रताप सिंह)
जे.एम.एफ.सी.
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बरही, जिला कटनी (म०प्र०)

(1) दाढूराम (2) [signature]
(3) राजेश जायसवाल

अभियुक्त का अभिवाक एवं परीक्षण (यदि किया हो)–

अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी एवं समझाई गई जिस पर अभियुक्त का

अभिवाक् :– अपराध स्वीकार है।

(तरुणेन्द्र प्रताप सिंह)
जे.एम.एफ.सी.
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बरही, जिला कटनी (म०प्र०)

नोट–अभियुक्त का अपराध स्वीकारोक्ति का अभिवाक्, अपराध की विशिष्टयों के संदर्भ में यथा संभव, अभियुक्त के शब्दों में ही दर्ज किया जावे।

|| निर्णय ||

(आज दिनांक 27.10.22 को घोषित)

|| निष्कर्ष ||

01— अभियुक्तगण की स्वेच्छया पूर्वक एवं स्पष्ट अपराध अभिस्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को धारा—13 सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम के अधीन अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

02— अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा— 13 सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां पढकर समझाये व सुनाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध को स्वेच्छया पूर्वक स्वीकार किये जाने के परिणाम स्वरूप उन्हें स्वीकारोक्ति के रूप में दोषिसिद्ध ठहराया गया। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

|| दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश ||

03— दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को धारा— 13 सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम में में प्रत्येक आरोपी को 100-100/ रूपये (एक - एक सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर आरोपी/आरोपीगण को उक्त धारा में 10-10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

04— प्रकरण में जप्तशुदा ताश—पत्ती मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावें एवं जप्त की गई राशि कुल रूपये 2601— रूपये (दो सौ एक रूपये रूपये) अवैध राशि होने से राजसात की जाकर कोषालय में जमा की जावें ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित

27.10.22

(तरूणेन्द्र प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बरही, जिला कटनी (म.प्र)

(तरूणेन्द्र प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बरही, जिला कटनी (म०प्र०)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

27.10.22

(तरूणेन्द्र प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बरही, जिला कटनी (म.प्र)

(तरूणेन्द्र प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बरही, जिला कटनी (म०प्र०)